न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के समक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा

निगम- अपीलकर्ता

बनाम

हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर, - प्रतिवादी

1987 का एफ़. ए. ओ. नंबर 586

25 अप्रैल, 2011

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948—धारा 39 और 40—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950—विनियम 40—ई.एस.आई. कोर्ट ने भुगतान किए गए अंशदान की वापसी का निर्देश दिया—कर्मचारी 1948 अधिनियम के अंतर्गत आते हैं—यह केवल पूर्वव्यापी वेतन संशोधन के कारण है कि कर्मचारी 1948 अधिनियम के दायरे से बाहर आ गए—अवधि के दौरान अंशदान का भुगतान किया गया था, कर्मचारी सुविधा का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से हकदार थे—ई.एस.आई. न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से ग़लत है और इसे रद्द किए जाने लायक है—संभवतः यह राय नहीं दी जा सकती कि किस तारीख को योगदान जमा किया गया था, कोई ग़लत धारणा हो सकती है—अपील की अनुमति दी गई, ई.एस.आई. कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 39 और 40 के अनुसार, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को अधिनियम के तहत योगदान देना होता है। हालाँकि, यह नियोक्ता का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह कर्मचारी के योगदान को उसके वेतन से वसूलने के अधिकार के साथ सबसे पहले निगम के पास योगदान जमा करे। प्रथम दृष्टया प्रतिवादी द्वारा योगदान के भुगतान को इस तथ्य पर विचार करते हुए किसी भी गलत धारणा के तहत नहीं कहा जा सकता है कि योगदान की तारीख पर निर्विवाद रूप से, कर्मचारी अधिनियम के तहत कवर किए गए थे और यह केवल पूर्वव्यापी वेतन संशोधन के कारण है। कि वे अधिनियम के दायरे से बाहर हो गये। जिस अवधि में योगदान का भुगतान किया गया था, कर्मचारी अधिनियम के तहत सुविधा या लाभ का लाभ उठाने का पूरी तरह से हकदार था और संभवतः इसका लाभ उठाया गया होगा।

(पैरा 11)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआईसी

बॉम्बे बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड शाहद, (1 992) 1 लैब में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कानून की आधिकारिक प्रतिपादन के मद्देनजर। कानून

जर्नल 660. समान तथ्यों में और जैसा कि विनियमों के विनियम 40 के स्पष्ट पढ़ने से स्पष्ट है जिसके तहत रिफंड की मांग की गई है, ईएसआई न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है और रद्द किए जाने योग्य है। इस बात पर संभवतः कोई राय नहीं दी जा सकती कि जिस तारीख को योगदान जमा किया गया था, वह कोई गलत धारणा हो सकती है।

(पैरा 14)

अपीलकर्ता की ओर से वकील विकास सूरी ।

प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके छिब्बर और अधिवक्ता ललित ठाकुर ।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल,

(1) कर्मचारी बीमा न्यायालय, अम्बाला का फैसला दिनांकित 10 अप्रैल 1987 को वर्तमान अपील में इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि प्रतिवादी मैसर्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर (बाद में 'स्थापना' के रूप में वर्णित), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के प्रावधानों के तहत कवर किया गया है। इसने 25 फरवरी, 1984 और 16 मई, 1985 (क्रमशः अनुबंध पी 2 और पी 3) के आदेशों को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 75 के तहत एक याचिका दायर की, जिसके तहत योगदान की वापसी का दावा किया गया, जो कि प्रतिष्ठान के अनुसार, अधिक भुगतान किया गया था। , खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है, निगम इस अदालत के समक्ष है।

(3) सुनवाई के समय, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में इस अदालत द्वारा निर्धारण के लिए कानून के निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठेंगे:

(1) क्या कुछ कर्मचारियों के संबंध में किया गया योगदान, बाद के निपटान के कारण वेतन सीमा से अधिक वेतन प्राप्त करने से अधिनियम की धारा 2(9) के तहत एक कर्मचारी की उनकी पिछली स्थिति में बदलाव आएगा?

(2) क्या योगदान अवधि के लिए भुगतान किया गया योगदान, जो पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन समझौते से पहले शुरू हुआ था, यह कहा जा सकता है कि यह पहले एक विश्वास के तहत किया गया था और कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम के विनियमन 40 के दायरे में आता है। , 1950 (संक्षेप में, 'विनियम')?

(4) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नीचे दी गई विद्वान अदालत का निर्णय, जो कि प्रतिष्ठान के अनुसार, अधिक भुगतान की गई राशि की वापसी का निर्देश देता है, पूरी तरह से गलत है और पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है। अधिनियम की धारा 2(9) "कर्मचारी" शब्द को परिभाषित करती है। इसके प्रावधान में विशेष रूप से प्रावधान है कि यदि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी कर्मचारी का वेतन अंशदान

अवधि की शुरुआत के बाद किसी भी समय अधिक हो जाता है, तो वह उस काल के अंत तक कर्मचारी बना रहेगा। कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 संक्षेप में, विनियम') का विनियम जैसा प्रासंगिक काल पर लागू होता है,

कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग योगदान और लाभ अवधि के लिए प्रावधान प्रदान करता है विनियम 5 विभिन्न कर्मचारियों को अंशदान और लाभ अवधि के आवंटन का प्रावधान करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि किस अवधि के लिए |योगदान का भुगतान प्रतिष्ठान द्वारा किया गया, कर्मचारियों को अधिनियम के तहत कवर किया गया।

1 जनवरी, 1983 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 1 दिसंबर, 1983 को निष्पादित समझौते के संदर्भ में वेतन संशोधन के कारण ही कुछ कर्मचारियों ने वेतन सीमा पार कर ली थी, जिसने उन्हें कर्मचारी की परिभाषा से बाहर कर दिया था। अधिनियम के अंतर्गत कवर किया गया।

अन्यथा जिस तारीख को योगदान दिया गया था, वे उसे पाने के योग्य थे।

उपरोक्त पूर्वव्यापी वेतन संशोधन के कारण, पहले से भुगतान किए गए योगदान की वापसी तीन अलग-अलग योगदान अवधियों, अर्थात् जून, 1983 से नवंबर, 1983 के लिए मांगी गई थी; अगस्त, 1983 से जनवरी, जे 984 और अक्टूबर, 1983 से मार्च, 1984 तक।

; ती (5) विनियमों का विनियम 40, जो धन वापसी का प्रावधान करता है

गलती से भुगतान किया गया अंशदान प्रदान करता है कि यदि राशि गलत विश्वास के तहत या देय दर से अधिक दर पर भुगतान की गई है तो राशि वापस की जा सकती है। यह मामला विनियमों के विनियम 40 के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि इसे " गलत धारणा के तहत या लागू दर से अधिक दर पर भुगतान किया गया योगदान नहीं कहा जा सकता है। इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

जिस तिथि पर अंशदान का भुगतान किया गया था, उस दिन यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सही ढंग से भुगतान किया गया था, कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर किया गया था। तर्कों के समर्थन में, क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआईसी, बॉम्बे बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, शाहद, (1) में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था।

(1) **(1992) 1 लैब। लॉ जर्नल 660**

(6) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि अधिनियम की धारा 82(2) के प्रावधानों के अनुसार। इस न्यायालय में केवल कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही अपील की जा सकती है। इसे अपील के ज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यह खारिज करने योग्य है। उन्होंने आगे कहा कि निगम द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिन पर निगम द्वारा निचली अदालत के समक्ष भरोसा किया गया था, को क़ानून के प्रावधानों से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, जिसके संदर्भ में प्रतिवादी को उचित रूप से निर्देशित किया गया है। उसके द्वारा गलती से भुगतान किया गया अंशदान वापस करने के लिए। विनियमों के विनियम 40 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिष्ठान निगम को

गलती से भुगतान किए गए योगदान की वापसी का हकदार है।

(7) उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

(8) विनियमों के विनियम 40 के प्रासंगिक प्रावधान, जिन पर पार्टियों के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा करने की मांग की गई है, नीचे दिए गए हैं:

"40. गलती से भुगतान किए गए अंशदान की वापसी.- (1) किसी व्यक्ति द्वारा गलत विश्वास के तहत भुगतान किया गया कोई भी अंशदान उस व्यक्ति द्वारा उस अधिनियम के तहत देय था, निगम द्वारा उस व्यक्ति को बिना ब्याज के वापस किया जा सकता है, यदि उस आशय का आवेदन है योगदान अवधि के अनुरूप लाभ अवधि के प्रारंभ होने से पहले लिखित रूप में किया गया था जिसमें योगदान का भुगतान किया गया था।

(2) जहां किसी व्यक्ति द्वारा कोई योगदान उस दर से अधिक पर भुगतान किया गया है जिस पर यह देय था, देय राशि से अधिक भुगतान की गई राशि को निगम द्वारा उस व्यक्ति को बिना ब्याज के वापस किया जा सकता है, यदि इस आशय का आवेदन किया जाता है उस योगदान अवधि के अनुरूप लाभ अवधि के प्रारंभ होने से पहले जिसमें इस तरह के योगदान का भुगतान किया गया था।

(3) इस विनियमन के तहत किए जाने वाले किसी भी रिफंड की राशि की गणना करते समय, यदि कोई हो, तो राशि में कटौती की जा सकती है। गलती से भुगतान किए गए योगदान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को लाभ के रूप में भुगतान किया गया है और जिसकी वापसी के लिए आवेदन किया गया है।

(4) जहां उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी भी योगदान की पूरी या आंशिक राशि तत्काल नियोक्ता से वसूल की गई थी या मुख्य नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के वेतन से कटौती की गई थी, वह रिफंड प्राप्त करने पर निगम से देय राशि में से, उस व्यक्ति को वसूल की गई या काटी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिससे वह राशि वसूल की गई या काटी गई थी।

(5) इस विनियमन के तहत धनवापसी के लिए आवेदन ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से किए जाएंगे और ऐसे दस्तावेजों द्वारा समर्थित होंगे जो महानिदेशक, समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं।

(9) निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रतिवादी-कंपनी ने अपने कर्मचारियों से संबंधित अंशदान की राशि प्रासंगिक समय पर जमा कर दी। 1 दिसंबर, 1983 को कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ निष्पादित एक समझौते के कारण ही कुछ कर्मचारियों के वेतन को 1 जनवरी, 1983 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परिलब्धियों में वृद्धि हुई। वे अधिनियम के तहत योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने के लिए 'कर्मचारी' की

परिभाषा में शामिल नहीं थे। अन्यथा पूर्वव्यापी वेतन संशोधन से पहले प्रासंगिक समय में, इन कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर किया गया था।

(10) वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा यह है कि क्या नियोक्ता द्वारा उन कर्मचारियों से संबंधित भुगतान किया गया योगदान, जिन्हें पिछली तारीख से पूर्वव्यापी वेतन संशोधन के कारण अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया था, नियोक्ता को वापस किया जाना चाहिए।

(11) अधिनियम की धारा 39 और 40 के अनुसार, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को अधिनियम के तहत योगदान देना होता है। हालाँकि, यह नियोक्ता का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह कर्मचारी के योगदान को उसके वेतन से वसूलने के अधिकार के साथ सबसे पहले निगम के साथ योगदान का निपटान करे। वर्तमान मामले में प्रतिवादी द्वारा पहली बार में योगदान के भुगतान को इस तथ्य पर विचार करते हुए किसी भी गलत धारणा के तहत नहीं कहा जा सकता है कि योगदान की तारीख पर निर्विवाद रूप से, कर्मचारी अधिनियम के तहत कवर किए गए थे और यह केवल खाते पर है भूतलक्षी वेतन पुनरीक्षण से वे अधिनियम के दायरे से बाहर हो गये। जिस अवधि में योगदान का भुगतान किया गया था, कर्मचारी अधिनियम के तहत सुविधा या लाभ का लाभ उठाने का पूरी तरह से हकदार था और संभवतः उसने इसका लाभ भी उठाया होगा।

(12) सेंचुरी स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष समान प्रकृति का एक मुद्दा सुनवाई के लिए आया था , जिसमें यह राय दी गई थी कि अधिनियम के तहत योगदान का भुगतान करने के दायित्व पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तारीख यही है। जिस पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। बाद के निपटान या पूर्वव्यापी वेतन संशोधन से किसी कर्मचारी की स्थिति में पिछली तारीख से कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रासंगिक पैराग्राफ 9 से 12 नीचे निकाले गए हैं:

(13) योगदान की अवधि अर्थात 1 जनवरी 1981 से 30 जून तक निर्विवाद रूप से। 1981, कंपनी के रंगरूट 'कर्मचारी' शब्द के विवरण का अनुपालन कर रहे थे। उस समय प्रचलित रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार, उन्हें अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (22) के तहत परिभाषित मजदूरी का भुगतान किया गया है। और ऐसा भुगतान धारा 2(9) के तहत 'कर्मचारी' शब्द के लिए और धारा 38 और 39 के प्रयोजनों के लिए निर्णायक होगा। धारा 38 और 39 के तहत परिकल्पित देय मजदूरी उस अवधि के लिए योग्य है जब कर्मचारी और नियोक्ता योजना में योगदान देने के लिए उत्तरदायी हैं। 7 सितंबर, 1981 के बाद के समझौते के कारण, मजदूरी 1 जनवरी, 1981 से देय हो गई है। हालांकि, इसने रोजगार अनुबंध के अनुसार योगदान की अवधि के दौरान 'देय मजदूरी' शब्द में किसी भी तरह से बदलाव नहीं किया है। जैसा कि तब प्रचलन में था।

(10) बीमा योजना के प्रयोजनों के लिए धारा 2(9) के तहत परिभाषित 'कर्मचारी' एक ऐसी स्थिति है जिसका आनंद प्रतिष्ठान में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को मिलता है, जिससे वे कर्मचारी बीमा योजना के तहत लाभ सुरक्षित कर सकते हैं। एक कर्मचारी के रूप में स्थिति निश्चित महत्व का एक पहलू है। योगदान की अवधि के परीक्षण के अनुसार इसका पता

लगाया जाना है । चल रही बातचीत या बाद के समझौते के अनुसार इसे कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे निपटान या समझौते के परिणामस्वरूप स्थिति में संभावित परिवर्तन हो सकता है। हालाँकि, एक बार प्रदान की गई ऐसी स्थिति को पूर्वव्यापी प्रभाव से बदला या निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, 1 जनवरी, 1981 और 30 जून, 1981 के बीच कंपनी में भर्ती हुए जिन लोगों ने 'कर्मचारी' की ऐसी स्थिति का आनंद लिया था, उन्हें वेतनमान में संशोधन के परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान 'कर्मचारी' नहीं माना जा सकता है। 7 सितंबर को उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। 1981 भले ही 1 जनवरी से प्रभावी कर दिया गया हो। 1981.

(11) समझौते का प्रभाव यह है कि भर्ती किए गए कर्मचारी पूर्वव्यापी प्रभाव यानी 1 जनवरी से वेतनमान में संशोधन के अनुसार लाभ के हकदार होंगे। 1981. हालाँकि, एक कर्मचारी के रूप में उन्हें बीमा योजना के तहत लाभ के प्रयोजनों के लिए दी गई स्थिति वही रहेगी। इसके परिणाम में समझौता विशेष अवधि के लिए भर्तियों से जुड़ी स्थिति को वापस नहीं ले सका।

(12) बीमा न्यायालय ने कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के खंड 40 (1) पर भरोसा करके खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है। बीमा न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि योगदान की वसूली में निगम ने न तो कोई गलती की है और न ही वसूली किसी भी तरह से गलत थी। ऐसे में कंपनी द्वारा उक्त प्रावधान का सहारा लेना पूरी तरह से गलत था। इसे देखते हुए, बीमा न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है और इसे रद्द किया जा सकता है।

(13) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इंदौर बनाम स्वदेश दैनिक समाचार पत्र, ग्वालियर (2) मामले में इस मुद्दे पर विचार किया कि विनियम 40 के तहत योगदान की वापसी की मांग करने का अधिकार किसके पास है और यह राय दी गई विनियम 40 के तहत रिफंड मांगने का अधिकार मुख्य रूप से कर्मचारी का है और नियोक्ता के पास केवल आकस्मिक या परिणामी अधिकार हैं। फैसले का पैराग्राफ 13 नीचे दिया गया है:

(14) दूसरा सवाल यह है कि क्या नियोक्ता के पास पहले से भुगतान किए गए योगदान की वापसी का 'प्रश्न' उठाने का कोई अधिकार है, जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान से बना है। न तो वह, न ही कोई अन्य व्यक्ति, उस "विवाद" को सीधे ईआई न्यायालय में उठा सकता है। मैंने पहले ही पकड़ लिया है. हालाँकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 38 के अनुसार, 'कर्मचारी' 'बीमाकृत' है और यहां तक कि जब नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन से कोई कटौती की जाती है, तब तक वह राशि उसके द्वारा निगम को भुगतान की जाती है। , नियोक्ता

निगम को उस राशि के भुगतान के उद्देश्य से उस राशि को 'ट्रस्ट' में रखता है। जिस क्षण विश्वास से छुट्टी मिल जाती है

(2) 1994 (3) एलएलजे (सप्ल.) 643

भुगतान, उसके पास उस राशि के संबंध में किसी भी तरीके से कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसने वह राशि कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन से काट ली हो। जब "बीमाधारक" या 'कर्मचारी' विनियम 40(1) के अनुसार कोई 'विवाद' नहीं उठाता है। नियोक्ता को निहित रूप से रिफंड के संबंध में 'प्रश्न' उठाने से रोक दिया गया है, जिसके संबंध में 'विवाद* हो सकता है, लेकिन विनियम 40(1) के प्रावधानों के अनुसार कटौती के संबंध में रिफंड का दावा करने वाले कर्मचारी द्वारा नहीं उठाया गया है। किसी विशेष 'लाभ अवधि' के संबंध में 'गलत धारणा' के तहत उसका वेतन। नियोक्ता एकतरफा यह दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई योगदान दिया है, चाहे वह 'गलत विश्वास' के तहत किया गया हो या नहीं। क्योंकि कर्मचारी के लिए अंशदान उसके स्वयं के अंशदान के साथ संयुक्त रूप से देय होता है। विनियम 40 सही या गलत तरीके से भुगतान किए गए किसी भी 'योगदान' के बाद और उसके अनुसार 'लाभ' प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के विकल्प को खत्म नहीं करता है। विनियम 40 के तहत विचार किया गया रिफंड का अधिकार मुख्य रूप से उसका है: और नियोक्ता का केवल आकस्मिक या परिणामी अधिकार है।

(14) समान तथ्यों के साथ बॉम्बे आई हाई कोर्ट द्वारा कानून के आधिकारिक प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि विनियमों के विनियमन 40 के स्पष्ट पढ़ने से स्पष्ट है जिसके तहत रिफंड की मांग की गई है, मेरी राय में, ईएसआई अदालत का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है और अलग रखे जाने योग्य है। इस बात पर संभवतः कोई राय नहीं दी जा सकती कि जिस तारीख को योगदान जमा किया गया था, वह कोई गलत धारणा हो सकती है।

(15) प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क, जैसा कि ऊपर देखा गया है, केवल खारिज किए जाने योग्य हैं क्योंकि विवाद के गुण-दोष के आधार पर कुछ भी संबोधित नहीं किया गया था। अपील की सुनवाई के समय भी कानून के प्रश्न तय किये जा सकते हैं।

(16) तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान ईएसआई न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया गया है। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में दिया गया है। ईएसआई कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा

आरएनआर